

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री अम्बालाल
किस्म मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- श्री हेमराज
पत्रावली संख्या : 47 / 19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 27.12.2021</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प लदानी में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी सं. 1 स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर सहमति व्यक्त की। विपक्षी सं. 4 से 9, 11, 14 से 18, 20 से 22 अनुपस्थित रहने पर पूर्व में इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। शेष विपक्षीगण अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता है। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित है। विपक्षीगण द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किया जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद की समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वासनीकलां पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी नम्बर 1170, 1173/2, 1174/2, 1176 मी., 1177 मी., 1180 मी. किता 6 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा, आराजी नम्बर 1170/1, 1172/1, 1173 मी., 1174/2, 1175/1, 1176/1, 1177/1, 1180 मी. किता 8 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 1172 मी., 1173/1, 1174 मी., 1175 मी., 1177/2, 1180/2 किता 6 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1171, 1174/3, 1175/2, 1176/2 किता 4 रकबा 14 बिस्वा भूमि की चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/- पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की उपस्थिति में दिनांक 03.02.2022 को पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेंगे।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मयंक मनीष IAS) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

